



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

Land Ceiling Appeal No. 01...../2025

मो० सबदर एवं अन्य-बनाम-मो० मंजर ईमाम

आदेश का
की गई
कारवाई
बारे में
टिप्पणी
तिथि
सहित

31.01.25

अभिलेख उपस्थापित। यह Land Ceiling Appeal NO..../2025 अपीलार्थी मो० सबदर एवं अन्य के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दायर किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनीकुना द्वारा भूहदबंदी वाद सं० 02/2021-22, मो० मंजर इमाम-बनाम-मो० वारिस अली एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-31.07.2024 के विरुद्ध अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा U/s 30 of the Bihar Land Ceiling Act, 1961 के तहत यह Land Ceiling Appeal NO..../2025 दायर किया गया है। अपीलीय आवेदन को पंजीकृत करते हुए Admission Point पर सुनवाई हेतु दिनांक 28/02/25 को रखें। L.C.R की माँग करें। *Duty Condonation Application has been filed. The case is admitted. Notice to O.P.s.*

लेखापित एवं संशोधित,

28/02/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह

28/02/25

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह

28.02.25

अभिलेख उपस्थापित। 1st party is absent. 2nd party has given time petition. Notice to both parties to appear on next date without fail and put up their arguments. Put up on date 28/03/25.

28/03/25

28/03/25

अभिलेख उपस्थापित। Attendance of 1st party is received. LCR not received. Reminder for LCR. 2nd party is absent. Put up on date 29/04/25. 28/03/25

29/04/25

अभिप्रेत उपस्थापित। 14th party is also present. 2nd party is absent. LCR is received. Put up for argument. Put up on date 23/05/25. By 29/04/25

23/05/25

अभिप्रेत उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा Time Petition दाख किया गया। विपक्षी के द्वारा Reply filed किया गया। अभिप्रेत दिनांक 17/06/25 की रहे।

17/06/25

पं. 6090

अभिप्रेत उपस्थापित। उभय पक्षों से बढालाने एजरी प्राप्त। उभय पक्षों के विरुद्ध अतिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय द्वारा सुनवाई के क्रम में कुछ तथ्यों को दृष्टीपूर्व में नहीं रखा गया जैसे की वारीश आली एवं अन्य द्वारा दाखर Substitution Petition dated 16/11/23 को आदि। दोनो पक्षों के विरुद्ध अतिवक्ता के दफिलों ने एवं अभिलेख के अवलोकनोपरान्त इस वाद को पुनः सुनवाई हेतु भूमि सुधार उप-समादेश, वारीश सुभा को Remand किया जाता है।

(उपायुक्त)